**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 764**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**वृंदावन, उत्तार प्रदेश में विधवाओं के रहन-सहन की स्थिति**

1. **श्री राजकुमार धूत** :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान वृंदावन, उत्तार प्रदेश में परित्यक्त विधवाओं के रहन-सहन की दयनीय स्थिति की ओर

विशेषकर उनके मृत शरीर के निपटान के भयावह तरीके के प्रकाश में आने के बाद, दिलाया गया है ;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) : सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) से (ग) : दिनांक 08 जनवरी, 2012 के दैनिक समाचार पत्र द हिन्दू में न्नवृंदावन की विधवाओं को मृत्यु के बाद भी सम्मान प्राप्त नहीं न्न शीर्षक से प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से मामले की जांच करने तथा उन संगठनों, जो आश्रय गृह चला रहे हैं, की विश्वसनीयता का सत्यापन करने के लिए कहा है । उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच करायी और सूचित किया है कि जांच के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है तथा समाचार पत्र में प्रकाशित लेख भ्रामक एवं आधारहीन है ।

\*\*\*\*\*\*